न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–63/11 ((RCMS No.2011/00064) 18 आयुध अधिनियम 1959)

मोती लाल मीणा आत्मज मोहरपाल मीणा निवासी नींदडदा थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर दिनांक 29.04.2005

उपस्थितिः–

1. श्री विजय सिंह कुन्तल वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः 26.09.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 29.04.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सवाई माधोपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, 2005 के अन्तर्गत दिनांक 29.01.05 को ग्राम नींदड़दा थाना मानटाउन में जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये मतदान हुआ था। मतदान के दौरान ग्राम नींदड़दा में भारी गड़बड़ी होने के कारण इस मतदान को निरस्त किया जाकर वहॉ दिनांक 07.02.2005 को पुर्नमतदान करवाने के आदेश जारी किये गये थे। इस क्रम में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक प 21(1)शस्त्र/न्याय/2005/822 दिनांक 05.02.02 के द्वारा मोती लाल मीना पुत्र मोहरपाल मीना निवासी ग्राम नींदड़दा का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 2/swm/93 को भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत निलम्बित किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक के अनुसार मातीलाल ने मतदान दल व सरकारी वाहनों पर पत्थर फेंके, तोड़–फोड़ की व मतपत्रों को फाड़ दिया व अपने साथ ले गये। जिस पर धारा 147, 149, 353, 384, 379, 336 भा.दं.सं व 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट तथा 131 (ख), 153(1), 133(ए) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत थाना मानटाउन पर एफ.आई.आर नं. 36/05 दर्ज की गई। इसके अलावा मीना के विरूद्ध एक एफ.आई.आर. नं0 333/93 एवं जन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत, एफ.आई.आर. नं0 390/99 एक एफ.आई.आर. नं0 398/99 दर्ज होकर चालान न्यायालय में पेश हुआ। इनकी निरन्तर बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुऐ इनका शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने की सिफारिश की गई। अधीनस्थ न्यायालय में श्री मोती लाल मीना ने जबाब पेश किया परन्तु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये बाबजूद कई सूचना के उपस्थित नही आये। श्री मीना ने चुनाव के दौरान अपना शस्त्र भी जमा नहीं करया। उनके गांव में जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य के लिये मतदान दिनांक 29.01.05 को व सरपंच व ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों के पद पर निर्वाचन के लिये मतदान दिनांक 31.01.05 को सम्पन्न हुआ था जबकि इन्होंने दिनांक 20.01.05 की घटना के बाद दिनांक 05.02.05 को अपना शस्त्र थाना मानटाउन पर जमा करवाया। इस प्रकार श्री मीना के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में संगीन मुकदमे दर्ज होने तथा चुनाव के दौरान शस्त्र जमा नही कराने के कारण आदेशों की अवहेलना की। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने श्री मीना का शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 29.04.2005 निरस्त कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट पर बिना प्रोपर तामील करवाये और बिना व्यक्तिगत सुनवाई किये ही निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध लगाये गये आरोप मिथ्या एवं निराधार है। अपीलान्ट के विरूद्ध लगाये गये आरोपों में से प्रकरण सं0 390/99 एवं 398/99 में अपर सैशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है तथा प्रकरण सं0 33/93 अपीलान्ट ने विधान सभा चुनाव लड़ा था उस समय अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज किया गया था। प्रकरण संख्या 36/05 व 37/05 पंचायत चुनाव 2005 के दौरान अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज हुऐ थे। अपीलान्ट एक सामाजिक, राजनैतिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के काण समस्त प्रकरण अपीलान्ट के विरूद्ध राजनैतिक दुर्भावनावश विपक्षी राजनेताओं के इशारे पर अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज किये गये हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध अपना व्यक्तिगत कोई भी प्रकरण आज दिन तक किसी भी न्यायालय में या पुलिस थाने में दर्ज नही है। इसके बाबजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण जॉच किये बिना अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया है। अपीलान्ट को दो बार विधान सभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अपीलान्ट की लोकप्रियता को देखते हुऐ रंजिश वश विरोधी नेताओं के इशारे पर अपीलान्ट की छवि खाराब करने के उद्देश्य से उक्त प्रकरण दर्ज करवाये हैं। उनका तर्क है कि अपीलान्ट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज अपने आर्म्स का कभी दुरूपयोग नही किया है, न ही अनुज्ञापत्र के शर्तों की अवहेलना की है। अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज मुकदमा न्यायालय से निर्णित हो चुके हैं जिनमें अपीलान्ट को दोषमुक्त किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, 2005 के अन्तर्गत दिनांक 29.01.05 को ग्राम नींदड़दा थाना मानटाउन में जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये मतदान के दौरान ग्राम नींदड़दा में भारी गड़बड़ी होने के कारण मतदान को निरस्त किया जाकर वहॉ दिनांक 07.02.2005 को पुर्नमतदान करवाने के आदेश जारी किये गये थे। इसी क्रम में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने मोती लाल मीना पुत्र मोहरपाल मीना निवासी ग्राम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नींदड़दा का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया था। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने मतदान दल व सरकारी वाहनों पर पत्थर फेंके, तोड़–फोड़ की व मतपत्रों को फाड़ दिया व अपने साथ ले गये। अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 147, 149, 353, 384, 379, 336 भा.दं.सं व 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट तथा 131 (ख), 153(1), 133(ए) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत थाना मानटाउन पर एफ.आई.आर नं. 36/05 दर्ज की गई। इसके अलावा मीना के विरूद्ध एक एफ.आई.आर. नं0 333/93 एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत, एफ.आई.आर. नं0 390/99 एक एफ.आई.आर. नं0 398/99 दर्ज होकर चालान न्यायालय में पेश हुआ। इनकी निरन्तर बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुऐ इनका शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने की सिफारिश की गई। इसके अलावा अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई के लिये जिला कलक्टर सवाई माधोपुर कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना दी गई थी परन्तु बाबजूद कई सूचना के उपस्थित नही हुऐ। श्री मीना ने चुनाव के दौरान अपना शस्त्र भी जमा नहीं करया। अपीलान्ट के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज होने तथा चुनाव के दौरान शस्त्र जमा नही कराने के कारण आदेशों की अवहेलना की है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के विरूद्ध विभिन्न मुकदमात न्यायालयों में दर्ज होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सवाई माधोपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, 2005 के अन्तर्गत दिनांक 29.01.05 को मतदान के दौरान ग्राम नींदड़दा में भारी गड़बड़ी होने के कारण इस मतदान को निरस्त किया गया था। वहॉ दिनांक 07.02.2005 को पुर्नमतदान करवाने के आदेश जारी किये गये थे। इस क्रम में अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या निलम्बित किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 147, 149, 353, 384, 379, 336 भा.दं.सं व 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट तथा 131 (ख), 153(1), 133(ए) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत थाना मानटाउन पर एफ.आई.आर नं. 36/05 दर्ज हुई है। इसके अलावा एक एफ.आई.आर. नं0 333/93 एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत, एफ.आई.आर. नं0 390/99 एक एफ.आई.आर. नं0 398/99 दर्ज होकर चालान न्यायालय में पेश हुआ। इनकी निरन्तर बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुऐ इनका शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने की सिफारिश की थी। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट व्यक्तिगत सुनवाई के लिये बाबजूद कई सूचना के उपस्थित नही हुऐ। अपीलान्ट के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में संगीन मुकदमे दर्ज होने तथा चुनाव के दौरान शस्त्र जमा नही कराने के कारण आदेशों की अवहेलना की। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 29.04.2005 निरस्त कर दिया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज होने से अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया था। अपीलान्ट का कथन है कि उनके विरूद्ध दायर मुकदमों का निस्तारण हो चुका है जिसमें अपीलान्ट का वरी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जावे। अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमों के निस्तारण के संबंध में जॉच किया जाना आवश्यक है कि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज मुकदमों की स्थिति क्या है और कितने मुकदमों का निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमों की जॉच कर नियमानुसार निर्णय के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2005 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज मुकदमों की स्थिति की जॉच कर, पुनः नियमानुसार विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.10.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official